

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार

राजस्व आवेदन सं. 260/2022

प्रार्थी-

बनाम

विप्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये
पटवारी महाबार

गणपतसिंह केलनोर

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

- उपरिस्थिति:-
1. प्रार्थी - पटवारी हल्का महाबार।
 2. विप्रार्थी - अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह महेचा।

निर्णय

दिनांक 27.01.2023

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का महाबार द्वारा 19.10.2022 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2079 के दौरान ग्राम महाबार के खसरा संख्या 3321/244 रकबा 8.0937 हैक्ट किस्म बा.दो. भूमि में से 300 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त। विप्रार्थी की ओर से प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह महेचा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया गया। आगामी पेशी पर वकील विप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब मय साक्ष्य पेश किया गया। विप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया है कि उसके द्वारा खसरा संख्या 3321/244 की उक्त भूमि को जरिये इकरारानामा खरीद किया गया है एवं संलग्न दस्तावेजात् में उक्त भूमि को खसरा संख्या 2009 की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताया है लेकिन वाद से संबंधित दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं। वहीं हल्का पटवारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं आज प्रस्तुत बयान में बताया है कि उक्त भूमि खसरा संख्या 3321/244 की भूमि है एवं राजकीय भूमि है जिस पर विप्रार्थी द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, उक्त अतिक्रमण को बेदखल किया जाना उचित है।
2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब, विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं हल्का पटवारी के बयान का अवलोकन किया। विप्रार्थी के जवाब एवं संलग्न दस्तावेजात्

57-

के अवलोकन से स्पष्ट से स्पष्ट होता है कि विप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा संख्या 3321/244 की भूमि का स्वामित्व साबित करने हेतु कोई ठोस सबूत/ राजस्व रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह भूमि विप्रार्थी के स्वामित्व की प्रतीत होती हो। हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान अनुसार उक्त भूमि राजकीय भूमि ही है एवं उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में आदिनांक तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे ये साबित होता है कि विप्रार्थी ने राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

3. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रुपये 0.06 का 50 गुणा रुपये 3/- (अक्षरे तीन रुपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
4. भू-अभिलेख निरीक्षक गरल एवं पटवारी महाबार को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि वसूलते हुए उक्त राशि राजकोष में जमा करावे। भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का तथा तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा निर्णय से सूचित हो। मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रमेश कुमार)
तहसीलदार बाड़मेर